न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 27/2013

श्री नरसिंह वयस्क पुत्र श्री गोकल जी जाति रावत निवासी ग्राम कुशलपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज) ......प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, मसुदा (राज)
2 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर (राज) ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज॰भू राजस्व अधिनियम
आदेश

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सारांशतः निवेदन किया है कि उसकी ग्राम कुशलपुरा पटवार क्षेत्र कानपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा नं0 146,147,148 खातेदारी की भूमिया है जिनसे लगायत साबिक ख0 न0 25रकबा 3–19–00 सरकारी भूमि किस्म दांती स्थित है जिसके वर्तमान ख0 न0 94 रकबा 4–11–00 है लेकिन वर्तमान में सहवन से इसकी किस्म नाली दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी ने खसरा न0 94 की अराजी में नया चाह खोदा है जिससें वह अपनी अराजीयात की सिंचाई करता चला आ रहा है।

प्रार्थना पत्र पर बहस प्रार्थी एवं पेरोकर अप्राथीगण सुनी गई। प्रार्थी वकील का निवेदन है कि नाली किस्म होने से उसे चाह की भूमि लीज पर नही दी जा रही है सेटलमेंट अधिकारियों को किस्म परिवर्तन के अधिकार नहीं थे गलत रूप से किस्म परिवर्तित की गई है जिसे दुरूस्त करवाया जावे। पैरोकार प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में स्वीकार किया कि उसकी किस्म दांती है जिसके विरूद्व नाली होने से कोई रेफरेन्स विचाराधीन नही है।

पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि फसल 1359 में साबिक ख0 न0 25 कि किस्म दांती दर्ज है जो जमाबंदी संवत् 2023 से 2026 कि जमाबंदी तक दर्ज होती चली आई है सहवन से सेटलमेंट में नाली दर्ज कर दिया जाना पाया जाता है। प्रार्थना पत्र पार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है

ग्राम कुशलपुरा पटवार क्षेत्र कानपुरा तहसील मसुदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 94 रकबा 4–11–00 बीधा की किस्म नाली के स्थान पर पूर्ववत किस्म दांती दर्ज किए जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार मसूदा यथानुसार जरिये ना0 क0 राजस्व अभिलेख में दुरस्ती करावे ।

आदेश आज दिनांक 8–12–16 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested